

## FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम.....

कोटा

किशनगोपाल

बनाम.....

सरकार

किस्म मुकदमा.....

136

नं. ....

23

सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/1/26	<p>ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत रानपुर में प्रार्थी किशनगोपाल की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रानपुर पटवार हल्का रानुपर में स्थित भूमि खाता संख्या 170 में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में नाम किशनगोपाल दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशनलाल पुत्र भैरूलाल का राजस्व रिकॉर्ड में नाम किशनलाल उर्फ किशनगोपाल पुत्र भैरूलाल किये जाने की अनुशंसा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम रानपुर की जमाबंदी खाता संख्या 170 में नाम किशनलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर किशनलाल उर्फ किशनगोपाल पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक ..... 21/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

(गजेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

कोटा